आदेश अज अदालत संदीप चौधरी, आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

मु0नं0 12/2022

निर्णय दिनांकः–14.06.2022

1. श्रीमती चन्द्रकला पत्नी सरदारसिंह जाति जाट निवासी कासनी त0 सूरजगढ़ हाल निवासी वार्ड नं0 23 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुझुनूं(राज0)

——— आवेदक

बनाम

1. श्रीमती अनोखी देवी पत्नी सुशिल कुमार जाति अहीर निवासी मेदाराम की ढ़ाणी तन कासनी त0 सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)
2. श्रीमती सुरेश देवी पत्नी दिनेश कुमार जाति अहीर निवासी मेदाराम की ढ़ाणी तन कासनी त0 सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)
2. उषा पुत्री औंकारमल पत्नी राधेश्याम शर्मा जाति ब्राहम्ण हाल निवासी ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुझुनूं(राज0)
3. मनोज कुमार पुत्र औंकारमल जाति ब्राहम्ण निवासी कासनी, हाल निवासी वार्ड नं. 21 सूरजगढ़ त0 सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)

———अनावेदकगण

आवेदन पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा
निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि

यह कि यह कि आवेदिका जमीन हाल ख.नं. 522 रकबा 3.25 है0 वाके मौजा कासनी की खातेदार काश्तकार है जिसमें मैदानी बोर बनाकर विधुत कनेक्शन कर फसल काश्त करती है। उक्त कृषि भूमि में कोई कटानी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त भूमि के दक्षिण में सूरजगढ़ से जाखोद जाने वाला राजस्व रिकॉर्ड का कटानी रास्ता लगता है। अनावेदगकण संख्या 1 लगा. 4 की कृषि भूमि हाल ख.नं. 581 रकबा 2.83 है0 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे ख.नं. 522 तक रास्ता सबसे नजदीक होने के कारण दिया जाना न्यायोचित है। उक्त प्रस्तावित रास्ते को नजरी नक्शे में मार्क "ए" से "बी" दर्शाया गया है। आवेदिका ने अपनी कृषि भूमि में अनाज डालने के लिए मकान बना रखा है। आवेदिका अपनी कृषि भूमि में आने जाने, फसल लाट बाट करने के लिए उटगाड़ी व ट्रेक्टर आदि लाने व ले जाने के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ते को काम में लेते आ रही है परन्तु उक्त रास्ता रिकॉर्ड में विधिवत कटा नहीं होने के कारण अनावेदकगण कभी भी बंद कर सकते है इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रस्तावित रास्ता सबसे कम दूरी का है व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते की सुविधा नहीं है। प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर प्रस्तावित 12 फूट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने व खुलवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रार्थनापत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण संख्या 1 लगा0 4 को जरिये नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर तलब किया गया व अनावेदक संख्या 5 को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। अनावेदकगण को नोटिस रजिस्ट्रर्ड ए.डी. द्वारा भिजवाये गये। रजिस्ट्री ए.डी. लगवाये 1 माह से अधिक का समय होने के उपरान्त भी आदिनांक तक पत्रावली पर असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार सूरजगढ़ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्ता आवेदिका की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा आवेदिका अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार के पत्रांक राजस्व/2022/525 दिनांक 31.05.2022 में हल्का गिरदावर की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार आवेदिका अपनी कृषि भूमि में दोनों फसले काश्त करती है व कटानी रास्ता नही होने से रास्ते की अत्यांतिक आवश्कता बताई गई है। आनावेदकगण की भूमि ख.नं. 581 के दक्षिण में सूरजगढ़ से जाखोद जाने वाला प्रचलित रास्ता जो नक्शें में डोटेड लाईन से दर्शाया गया है। आवेदिका ने इसी ख़ेत खसरा नम्बर में पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौड़ा रास्ता चाहा है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम व सुविधाजनक होना बताया है। प्रस्तावित रास्ते में वर्तमान में एक खेजड़ी का पेड़ है व अन्य निर्माण व फसल मौके पर नहीं होना बताया गया है। मौके पर आवेदिका द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधजनक रास्ते का विकल्प नहीं बताया गया है।

इस प्रकार हल्का गिरदावर की फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदिका को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता होना, प्रस्तावित रास्ता कटानी रास्ते से निकटतम दूरी का होना व अन्य वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना बताया गया है। इसलिए आवेदिका का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रस्तावित रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदिका की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. 522 में आने जाने के लिये अनावेदकगण की भूमि ख.नं. 581 में से तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा क्रमांक राजस्व/2022/525 दिनांक 31.05.2022 में अंकितानुसार मार्क ''ए'' से ''बी'' नया रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि आवेदिका से वसूल कर संबंधित खातेदारान को अदा करें तत्पश्चात रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर रास्ते का रकबा पृथक से कायम करें। रास्ता मौके पर खुलवाया जावे। रास्ते में स्थित पेड़ वगैरह को हटवाये जाने का हर्जा खर्चा आवेदिका द्वारा वहन किया जावेगा। तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा क्रमांक राजस्व/2022/525 दिनांक 31.05.2022 निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 14.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड म...
प्रशासन गांवो के संग अभियान

(संदीप चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़